

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 808 / 14

संस्थापन दिनांक:-10 / 11 / 14

फाईलिंग नं. 233504003272014

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

जीवनपुरी पिता सोहनपुरी गोस्वामी,

उम्र 34 वर्ष, निवासी गोविंद कॉलोनी,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 22.02.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 341, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 23.09.2014 को समय शाम 07:30 बजे गुरुनानक स्कूल के पास बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल में अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादी को सदोष अवरुद्ध किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 23.09.2014 को चौकी बोड़खी आकर अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय का आवेदन पेश किया कि वह दिनांक 23.09.2014 को शाम करीब 07:30 बजे अपने बच्चे को लेकर ईलाज हेतु आमला पैदल जा रही थी। जैसे ही वह गुरुनानक स्कूल के पास पहुंची तभी अभियुक्त ने मोटर सायकिल से आकर उसका रास्ता रोका और उससे चैक बाउंस के केस में समझौता करने का कहा। उसके द्वारा समझौता करने से मना करने पर अभियुक्त ने बुरी नियत से उसका उल्टा हाथ पकड़कर खींचा। उसने हाथ झटका तो उसके नाखून गढ़ गये। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी।

3 फरियादी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 784/14 पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना, समय व स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
2. क्या घटना, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को सदोष अवरुद्ध किया ?
3. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

6 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में फरियादी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी। इस संबंध में साक्षी देवकीबाई (अ.सा.-2) एवं जितेंद्र (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उन्हें फरियादी ने बताया था कि अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

7 यद्यपि साक्षी फरियादी (अ.सा.-1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। अभियुक्त द्वारा

उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। जान से मारने की धमकी ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी के मन में यह भय पैदा हो जाये कि ऐसी धमकी का क्रियान्वयन भी किया जा सकता है। आपराधिक अभित्रास गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होना चाहिए तथा संत्रास कारित करने का आशय होना चाहिए। यदि ऐसी धमकी देने का आशय उसे कार्यरूप में परिणित करने का न हो और फरियादी भयभीत न हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **लक्ष्मण विरुद्ध म.प्र. राज्य 1989 जे.एल.जे. 653** अवलोकनीय है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

8 फरियादी (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि वह घटना दिनांक को बच्चे को लेकर डॉक्टर के यहां पैदल-पैदल जा रही थी। जैसे ही वह गुरुनानक स्कूल के पास पहुंची अभियुक्त मोटर सायकिल से आया और उसे रोककर बोला कि जो चेक बाउंस का केस चल रहा है उसमें समझौता कर ले। जो भी लेन देन होगा बाद में कर लेंगे। उसने अभियुक्त को मना किया तब अभियुक्त ने बुरी नीयत से उसका उल्टा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा जिससे उसके हाथ में नाखून गढ़ गये। फिर उसने बोड़ खी चौकी में लिखित आवेदन दिया जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी।

9 देवकीबाई (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि फरियादी उसकी बेटी है। उसकी बेटी ने उसे यह बताया था कि जब वह उसके बच्चे को लेकर अस्पताल जा रही थी तब अभियुक्त जीवनपुरी ने हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसकी बेटी ने उसे यह भी बताया था कि अभियुक्त ने चेक बाउंस के मामले में राजीनामा करने के लिए कहा था और जब उसने मना किया तो बुरी नीयत से हाथ पकड़कर खींचने लगा जिससे उसके हाथों में नाखून लग गये थे। जितेंद्र (अ. सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे घटना के संबंध में इतनी जानकारी है कि उसकी दीदी बच्चे को हास्पिटल लेकर जा रही थी। घर आकर उसकी दीदी ने बताया था कि अभियुक्त जीवनपुरी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। फिर वह अपनी बहन को चौकी लेकर गया था। इस साक्षी से भी अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसकी बहन ने उसे यह भी बताया था कि अभियुक्त ने चेक

बाउंस के मामले में राजीनामा करने के लिए कहा था और जब उसने मना किया तो बुरी नीयत से हाथ पकड़कर खींचने लगा जिससे उसके हाथों में नाखून लग गये थे।

10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 23.09.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत चंदा का परीक्षण करने पर आहत की बांयी अग्र भुजा पर सामने तरफ 7 गुणा आधा सेमी. आकार की खरोच का निशान पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) को प्रमाणित किया है।

11 प्रशांत शर्मा (अ.सा.-5) ने दिनांक 23.09.2014 को पुलिस चौकी बोड़खी थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को प्रार्थी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अपराध क्र. 29/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) लेख किया जाना एवं दिनांक 24.09.2014 को फरियादी की निशादेही पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-3) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-7) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

12 बचाव अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के विरुद्ध चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया गया था जिस पर अभियुक्त ने राजीनामा करने से इनकार कर दिया था। अतः अभियुक्त पर दबाव बनाने के लिए फरियादी के द्वारा यह झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। साथ ही फरियादी एवं अन्य साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास होने से अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में फरियादी (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसका रास्ता रोक लिया था और कहा कि चेक बाउंस वाले मामले में राजीनामा कर ले। मना करने पर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था। साक्षी देवकीबाई (अ.सा.-2) एवं जितेंद्र (अ.सा.-3) ने भी फरियादी के द्वारा उन्हें उपर्युक्त बातें बताये जाने पर फरियादी के कथनों के अनुरूप कथन किये हैं।

14 फरियादी (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्त से पैसे उधार लिए गये थे जिसके एवज में उसने चेक दिया था जो कि बाउंस हो जाने के कारण अभियुक्त जीवनपुरी के द्वारा उसके विरुद्ध

बैतूल न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त का वर्ष 2011 से उसके घर पर आना जाना है। स्वतः में साक्षी ने बताया है कि उसके घर समूह की मीटिंग लगती है उसमें वह किशत लेने के लिए आता है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त जीवनपुरी ने चेक बाउंस के प्रकरण में राजीनामा करने से इनकार कर दिया था। यह भी बताया है कि अभियुक्त के द्वारा उसके विरुद्ध थाना आमला में शिकायतें की गयी थी। वर्ष 2014 के पहले भी अभियुक्त उसे बुरी नीयत से देखता था परंतु उसने इस संबंध में शिकायत नहीं की। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना दिनांक को वह बरेलीपार में ड्यूटी पर उपस्थित थी। उसका हेडक्वार्टर बरेलीपार है और हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। स्वतः में बताया है कि बच्चा छोटा होने के कारण बीएमओ से आने जाने की अनुमति ले ली है। इस सुझाव को गलत बताया है कि जिस समय घटना हुई थी उस समय वह चिल्ला चोट नहीं कर पायी थी। साक्षी ने स्वतः में बताया है कि उसकी मां साथ में थी। घटना के समय वह आगे-आगे चल रही थी और उसकी मां पीछे-पीछे आ रही थी। उसकी मां ने भी हल्ला एवं आवाज नहीं की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना के समय उसकी मां घर पर थी और घर पर जाकर घटना की जानकारी मां और भाई को दी थी।

15 देवकीबाई (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसकी बेटी रोज सुबह सर्विस करने के लिए जाती है और रात 8-9 बजे तक आती है। स्वतः कहा कि घटना के दिन बच्चे बीमार होने के कारण नहीं गयी थी। उसने घटना घटित होते नहीं देखी थी और न ही घटना के समय वह अपनी बेटी के साथ थी। अभियुक्त जीवनपुरी समूह का सदस्य होने के नाते घर पर आता-जाता था। जितेंद्र (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना की रिपोर्ट किसने लिखायी थी उसके इस बात की जानकारी नहीं है। घटना स्थल पर क्या हुआ था इसकी उसे जानकारी नहीं है। उसकी बहन ने जो उसे बताया था वह उसने बताया है। अभियुक्त और उसकी बहन के बीच में क्या बातचीत हुई थी, उसकी बहन के शरीर पर चोट थी या नहीं उसे याद नहीं है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसकी बहन ने उसे जो बताया था वह उसने बताया है। वह यह नहीं बता सकता कि उसकी बहन ने उसे क्या बताया था। उसे यह भी नहीं पता कि घटना के समय उसकी बहन के साथ मां गयी थी या नहीं। घटना की रिपोर्ट किसने लिखायी थी यह उसे जानकारी नहीं है। उसने रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। उसे आज यह भी याद नहीं है कि उसकी बहन के शरीर से खून निकल रहा था या नहीं और उसे यह भी याद नहीं है कि उसकी बहन ने अभियुक्त से हुई बात के बारे में तुरंत बताया था या नहीं। उसे यह नहीं मालूम की घटना के समय अभियुक्त और उसकी बहन के बीच में क्या बात हुई थी।

16 प्रकरण में फरियादी (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि घटना के समय वह पैदल जा रही थी और पीछे-पीछे उसकी मां भी थी। साक्षी ने अपने परीक्षण में यह भी बताया है कि उसने घटना दिनांक को बरेलीपार में ड्यूटी की थी परंतु साक्षी देवकीबाई (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर थी, वह अपनी बेटी के साथ नहीं गयी थी। घटना दिनांक को उसकी बेटी बच्चे बीमार होने के कारण सर्विस करने नहीं गयी थी। साक्षी जितेंद्र (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में घटना की जानकारी न होना एवं मौके पर क्या हुआ, जब उसकी बहन घर पर आयी तब क्या बताया था, मां देवकीबाई साथ में गयी थी या घर पर थी, इन सब बातों की जानकारी न होना बताया है। फरियादी (अ.सा.-1) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त के द्वारा उसके विरुद्ध चेक बाउंस का परिवाद बैतूल में प्रस्तुत किया गया है तथा इस प्रकरण में अभियुक्त ने उससे राजीनामा करने से इनकार कर दिया था। जबकि इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त ने फरियादी से चेक बाउंस के प्रकरण में राजीनामा करने के लिए कहा जिसके लिए फरियादी ने मना कर दिया था।

17 फरियादी (अ.सा.-1) के प्रतिपरीक्षण के द्वारा बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेज प्रदर्श डी-1 जो कि पुलिस अधीक्षक को की गयी शिकायत है एवं उस शिकायत पर से थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक की ओर से दिया गया निर्देश पत्र (प्रदर्श डी-2), पुलिस अधीक्षक को आवेदिका के विरुद्ध की गयी शिकायत (प्रदर्श डी-3), फरियादी के विरुद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट का परिवाद (प्रदर्श डी-4), उपर्युक्त प्रकरण में अभियुक्त/परिवादी जीवन के हुए कथन प्रदर्श डी-5 एवं प्रदर्श डी-6, अभियुक्त के द्वारा की गयी शिकायत पर से जांच प्रतिवेदन प्रदर्श डी-9 एवं 10 तथा पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी को झूठे मामले में फंसाये जाने की धमकी दिये जाने के संबंध में की गयी शिकायत प्रदर्श डी-11 एवं 12 प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही शिकायती आवेदन पत्र पर अभियुक्त के कथन (प्रदर्श डी-13) एवं फरियादी के कथन (प्रदर्श डी-14) प्रस्तुत किये गये हैं। उपर्युक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उपर्युक्त घटना के पूर्व ही अभियुक्त के द्वारा फरियादी के विरुद्ध उसे झूठे प्रकरण में फंसाये जाने के संबंध में धमकी दिये जाने के संबंध में शिकायतें की गयी एवं जांच में यह पाया गया कि दोनों पक्षों के मध्य लेनदेन का विवाद है।

18 प्रकरण में फरियादी (अ.सा.-1), देवकीबाई (अ.सा.-2) एवं जितेंद्र (अ.सा.-3) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। प्रकरण में यह पूर्णतः स्थापित है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के विरुद्ध चेक बाउंस का परिवाद न्यायालय में दर्ज किया गया। स्वयं फरियादी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उससे राजीनामा करने से इनकार कर दिया था।

तब ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आधार लिया जाना कि चेक बाउंस के प्रकरण में अभियुक्त ने उससे राजीनामा करने के लिए कहा और उसने मना कर दिया, अत्यन्त अस्वाभाविक प्रतीत होता है। फरियादी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके विरुद्ध थाना आमला में शिकायतें की हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों में जबकि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा पूर्व से ही अभियुक्त एवं फरियादी के बीच अन्य प्रकरण होने के कारण विवाद स्थापित है। फरियादी के उपर भी अभियुक्त के द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर आपराधिक प्रकरण लंबित है। साथ ही वर्ष 2011 में अभियुक्त का फरियादी के घर में आना जाना होता रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन कथा में अत्यन्त संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने फरियादी का रास्ता रोककर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

19 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुए कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादी को सदोष अवरुद्ध किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त जीवनपुरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 341, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)